इनका उद्देश्य देश में व्यापार करना आसान बनाना और 29 कानूनों को बदलना है

नए साल में श्रम संहिता लागू होने की संभावना

उम्मीदें 2022

नई दिल्ली | जगदीश शेट्टीगर और पूजा मिश्रा

वित्त वर्ष 2022-23 में चार नई श्रम संहिता लागू होने की संभावना है। श्रम एक समवर्ती विषय होने के साथ, राज्य इन सुधारों के लिए मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित करने की प्रक्रिया में हैं। विशेषज्ञों की राय है कि यह चार श्रम संहिता देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफी कारगर होंगी। नई श्रम संहिताओं का उद्देश्य देश में व्यापार करना आसान बनाना और 29 बोझिल कानूनों को बदलना है।

इसका उद्देश्य 50 करोड़ से अधिक संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इसके दायरे में लाना है। गौरतलब है कि 90% कार्यबल फिलहाल श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हैं। इसके पीछे यह सुनिश्चित करने का विचार है कि श्रमिकों को वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, पारिश्रमिक के मामले में लैंगिक समानता, न्यूनतम समान मजदूरी प्राप्त करें। साथ ही इसमें अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने, छंटनी के दौरान श्रमिकों को पुनः कौशल हासिल कराने के लिए 15 दिन का वेतन जोड़ने जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।

कोड की वर्तमान स्थिति : वित्त वर्ष 2022-23 में इनके लागू होने की संभावना है। ये हैं-वेतन संबंधी, औद्योगिक संबंधी, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता। जहां केंद्र सरकार ने मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, वहीं राज्य सरकारें इसका मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। वेतन संहिता के लिए मसौदा नियमों को 24 राज्यों ने पूर्व-प्रकाशित कर दिया है।

mint

संहिता व्यापार सुगमता में योगदान करेंगी

कर्मचारियों और नियोक्ताओं में धन सृजन में भागीदार होने की भावना विकसित होने से श्रम उत्पादकता में सुधार होने की संभावना है। श्रमिकों के मुआवजे, कर्मचारी अधिकारों और नियोक्ता कर्तव्यों की स्पष्ट परिभाषा और अनुपालन को आसान बनाने वाली श्रम संहिताओं के चलते एक 'पारदर्शी' वातावरण तैयार होगा, जिससे निवेश-आकर्षित होने की काफी संभावनाएं हैं।

इन संहिताओं का लक्ष्य

प्रस्तावित श्रम संहिताओं के अनुसार, कुल भत्तों जैसे मकान किराया, छुट्टी, यात्रा आदि को वेतन के 50% तक सीमित किया जाना है, जबकि मूल वेतन शेष 50% होना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप एक निश्चित वर्ग को कम वेतन कम हो जाएगा, लेकिन सेवानिवृत्ति निधि में उनका योगदान बढ़ जाएगा। प्रति दिन 12 घंटे के कार्य समय की अनुमति के साथ चार-दिवसीय कार्य सप्ताह भी कंपनियां लागू कर सकती हैं।

कितने हैं श्रम कानून?

इन चार श्रम संहिताओं में 29 श्रम कानूनों का सरलीकरण होना काफी महत्वपूर्ण होगा। देश में वर्तमान में कई श्रम कानूनों का जाल है। इसमें 40 से अधिक केंद्रीय कानून और 100 राज्य कानून शामिल हैं। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने इन्हें सरल बनाने की सिफारिश की थी।

ये होंगे बदलाव

● हफ्ते में 3 दिन मिल सकता है साप्ताहिक अवकाश, लेकिन बढ़ जाएंगे काम के घंटे ● 15 मिनट ज्यादा किया काम तो मिलेगा ओवरटाइम ● पांच घंटे बाद मिलेगा आधे घंटे का ब्रेक ● घट जाएगा हाथ में आने वाला वेतन ● भविष्य निधि खाते में बढ़ेगा अंशदान ● ग्रेच्युटी के लिए दोगुना कटेगा पैसा।